न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2022(रसद) (GCMS 2022/16)	11.03.2022	25.07.2023

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

शिवशंकर पिता सत्यनारायण अग्रवाल निवासी मोती बाजार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
बीएल पोखरना — अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.01.2022 को जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा ने निर्देश दिये कि पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि थाने पर गैस सिलेण्डर डिटेन किये हुए है। उक्त सूचना के आधार पर प्रार्थी/आवेदक हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी निम्बाहेडा थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा पहुंचा। जहॉ पर थानाधिकारी से सम्पर्क किया तो उन्होंने घटना की जानकारी दी तथा एक तहरीर दी गई। उक्त तहरीर के अनुसार दिनांक 30.01.2022 को कस्बा निम्बाहेड़ा में शिव शंकर पिता सत्यनारायण अग्रवाल निवासी मोती बाजार निम्बाहेड़ा थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा की दुकान के पीछे बने मकान में कुल 35 घरेलू सिलेण्डर मिले। शिव शंकर अग्रवाल के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होने सिलेण्डरों को डिटेन कर थाने में रख दिये गये है। उक्त तहरीर के आधार पर एवं थानाधिकारी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बताये गये डिटेन शुदा गैस सिलेण्डरों का सत्यापन पर शिव शंकर से सिलेण्डरों के बारे में पूछताछ करने पर शिव शंकर ने बताया कि सिलेण्डर स्वंय के है तथा उसके परिसर से डिटेन किये हुए है। शिव शंकर अग्रवाल से आवश्यक दस्तावेज संबंधी पूछताछ करने पर उसने दस्तावेज होना स्वीकार नहीं किया गया। मौके पर मैसर्स कालिका गैस एजेन्सी निम्बाहेड़ा से सम्पर्क कर उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति होने हेतु कहा गया। इस पर महेन्द्र सिंह गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए गवाह के समक्ष गैस सिलेण्डरों की तलपटी बना कर मापन किया गया। **14.2 Kg.** के कुल 18, **5 Kg.** के 7 तथा **19 Kg.** के 10 गैस सिलेण्डर हो पाया गया। उक्त 35 गैस सिलेण्डरों में कुल गैस की मात्रा **224.8 Kg.** गैस होना गया। शिव शंकर द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने के कारण एलपीजी आदेश 2000 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 35 गैस सिलेण्डर मय **224.8 Kg.** गैस को जब्त किया गया तथा उक्त 35 सिलेण्डरो एवं **224.8 Kg.** गैस को कालिका गैस एजेन्सी की सुपुर्दकी में दिया गया। शिव शंकर पिता सत्यनारायण अग्रवाल निवासी मोती बाजार निम्बाहेड़ा द्वारा 35 घरेलू गैस का भण्डारण करने का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 35 गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई गैस को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। दिनांक 05.04.2022 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता बीएल पोखरना हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी की और से दिनांक 25.05.2022 को जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि 5 किलोग्राम के 07 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर होना बताकर जब्त किये गये है, जिनके लिये किसी भी गैस कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है ना ही कोई गैस कनेक्शन पांच किलोग्राम व्यवसायिक गैस टंकी के लिये उपभोक्ता को जारी ही किया जाता हैं और पांच किलोग्राम के 07 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर रखना कोई कानूनी अपराध नहीं हैं। पांच किलोग्राम के व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को पुरे भारतवर्ष में कहीं पर लाने–ले जाने व रिफिल करने के लिये कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। पुरे भारतवर्ष में इन गैस सिलेण्डर को कहीं पर लाया ले जा सकता हैं और रिफिल भी कराया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में जो 07 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर पांच किलोग्राम वजनी जब्त करना बताया गया हैं उन्हें करने का अधिकार विपक्षी शिवशंकर को हैं जिन्हे अधिगृहित कर राजसात सम्मत नहीं है क्योंकि पांच किलोग्राम के व्यवसायिक गैस सिलेण्डर के संबंध में 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं बनता है उक्त 07 व्यक्त गैस सिलेण्डर जो पाच किलोग्राम वजनी हैं को विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

शिवशंकर को सिपुर्द किया जाना वैधानिक है। 19 किलोग्राम के 10 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर विपक्षी के यहां से डिटेन किया जाना बताया गया है, उनमें से पांच गैस सिलेण्डर 19 किलोग्राम के विपक्षी शिवशंकर के नाम के गैस कनेक्शन होकर वैधानिक है। विपक्षी शिवशंकर के कनेक्शन नंबर 28718 में दो व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 19 किलोग्राम वजनी के विपक्षी शिवशंकर के कनेक्शन नम्बर 28645 में दो व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 19 किलोग्राम वजनीके विपक्षी शिवशंकर के कनेक्शन नंबर 28633 में दो व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 19 किलोग्राम वजनी का विधिवत लिये गये है। जिन्हे अधिकृत कर राजसात नहीं किया जा सकता है और इन पांच सिलेण्डर के संबंध में कोई अपराधन अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का नहीं बनता है और उक्त पांच व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 19 किलोग्राम वजनी के विपक्षी शिवशंकर को सिपुर्द किये जाने का आदेश किया जाना वैधानिक है। इसके अतिरिक्त जो 5 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 19 किलोग्राम वजनी के डिटेन किये गये है उनमें विपक्षी शिवशंकर का कोई संबंध नहीं है और ना ही विपक्षी शिवशंकर के एक्सक्लूजीव पजेशन से ही यह सिलेण्डर डिटेन ही किये गये है। **14.2 Kg.** के घरेलु 18 गैस सिलेण्डर डिटेन किये गये है यह सभी शिवशंकर के परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम से होकर उनके जो गैस कनेक्शन लिये हुए हैं उन परिवार वालों के होकर यह परिसर उन सभी परिवार वालों को पुश्तैनी परिसर होकर जो सभी सदस्यों का संयुक्त एवं सामलाती है, उसमें रखे हुए थे क्योंकि यह सभी शामिल शरीक ही रहते है। विपक्षी शिवशंकर द्वारा रातीजगा का कार्यक्रम किया जा रहा था जिसके निमित्त विपक्षी शिवशंकर द्वारा सम्पूर्ण अग्रवाल समाज एवं मित्रगण मौहल्ले का स्नेहभोज किया जा रहा था। जिसके लिये आवश्यक होने से परिवार के सदस्यों द्वारा जो संयुक्त एवं सामलाती रहते हैं उक्त गैस सिलेण्डर संतुक्त परिसर में रखे गये थे। इसलिये कोई अपराध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उक्त 18 घरेलु गैस सिलेण्डर के संबंध में नहीं बनता है। इसलिये इन्हे अधिग्रहित कर राजसात नहीं किया जा सकता है। उक्त 18 गैस सिलेण्डर के संबंध में पूर्ण जानकारी का विवरण जवाब प्रार्थना–पत्रानुसार है। इस प्रकार कुल 18 घरेलू गैस सिलेण्डर विपक्षी शिवशंकर के भाई बंदो के होकर सभी शामिल शरीक रहने वाले विपक्षी के परिवार के सदस्यों के है। जिनके द्वारा रातीजगे के बाद के स्नेह भोज के लिये उक्त गैस सिलेण्डर लिये गये थे जो विधि अनुसार जारी किये गये गैस कनेक्शन से प्राप्त होकर वैध है जिन्हे अधिग्रहित कर राजसात किया जाना विधि अनुसार नहीं है क्योंकि उक्त स्थिति में कोई अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बनता ही नहीं है। विपक्षी की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 25.07.2023 को पैरोकार सरकार हाजिर रहे। अधिवक्ता विपक्षी बीएल पोखरना हाजिर। हाजिर अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षी द्वारा स्वयं बहस पत्रावली नहीं कर अन्य अधिवक्ता द्वारा बहस किये जाने का निवेदन किया गया। इस पर पर्याप्त समय तक इन्तजार किये जाने के उपरांत भी अन्य कोई अधिवक्ता हाजिर नहीं आये एवं हाजिर अधिवक्ता बीएल पोखरना द्वारा भी बहस पत्रावली नहीं किया जाना जाहिर किया गया। इस पर पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने रखा गया। हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया।

हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 30.01.2022 को जिला रसद अधिकारी के निर्देश प्रार्थी/आवेदक हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी निम्बाहेडा थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा पहुंचा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा घटना की जानकारी दी तथा एक तहरीर दी गई। उक्त तहरीर के अनुसार दिनांक 30.01.2022 को कस्बा निम्बाहेड़ा में शिव शंकर पिता सत्यनारायण अग्रवाल निवासी मोती बाजार निम्बाहेड़ा थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा की दुकान के पीछे बने मकान में कुल 35 घरेलू सिलेण्डर मिले। शिव शंकर अग्रवाल के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होने सिलेण्डरों को डिटेन कर थाने में रख दिये गये है। उक्त तहरीर के आधार पर एवं थानाधिकारी द्वारा बताये गये डिटेन शुदा गैस सिलेण्डरों का सत्यापन पर शिव शंकर से सिलेण्डरों के बारे में पूछताछ करने पर शिव शंकर ने बताया कि सिलेण्डर स्वंय के है तथा उसके परिसर से डिटेन किये हुए है। शिव शंकर अग्रवाल से आवश्यक दस्तावेज संबंधी पूछताछ करने पर उसने दस्तावेज होना स्वीकार नहीं किया गया। मौके पर मैसर्स कालिका गैस एजेन्सी निम्बाहेड़ा से सम्पर्क कर एजेन्सी के प्रतिनिधि को गवाहान के समक्ष गैस सिलेण्डरों की तलपटी बना कर मापन एलपीजी आदेश 2000 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 35 गैस सिलेण्डर मय **224.8 Kg.** गैस को जब्त किया गया तथा उक्त 35 सिलेण्डरो एवं **224.8 Kg.** गैस को कालिका गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार विपक्षी शिव शंकर पिता सत्यनारायण अग्रवाल निवासी मोती बाजार निम्बाहेड़ा द्वारा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक एवं अवैध व्यवसाय/उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 35 गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया है जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध तलपटी दिनांक 30.01.2022 से होती है इस पर विपक्षी शिवशंकर के हस्ताक्षर उपलब्ध है। तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के संबंध में विपक्षी द्वारा वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए इसके साथ विपक्षी न्यायालय के समक्ष भी उक्त गैस सिलेण्डरों के विधि अनुसार भण्डारण किये जाने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इसके साथ ही जहां विपक्षी द्वारा 5 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का कथन किया गया है इस संबंध में पत्रावली पर कोई भी वैध दस्तावेजात विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाना जाहिर होता है। विपक्षी द्वारा केवल कनेक्शन नंबर का विवरण जवाब प्रार्थना–पत्र किया गया है कोई वैध दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है जिससे उक्त जब्तशुदा 5 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने योग्य है। विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में गैस डायरी की छाया प्रतियां ही प्रस्तुत की गई है अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह तथ्य साबित होता है कि जब्तशुदा 18 घरेलू गैस सिलेण्डर विपक्षीगण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये गये है। जबकि जब्तशुदा **14.2 Kg.** के 18 गैस सिलेण्डर पृथक–पृथक कंपनी यथा **11 BPCL, 6 HPCl,** एवं **1 IOCL** का है ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा जब्तशुदा 18 घरेलू गैस सिलेण्डर के संबंध में विपक्षी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के माध्यम से उठाया गया तथ्य/कथन स्वीकार्य किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं जब्तशुदा 18 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ जहां तक विपक्षी द्वारा 5 किलोग्राम के सिलेण्डर के संबंध में तथ्य उठाया गया है इस संबंध में विपक्षी द्वारा कोई भी ठोस दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता है कि 5 किलोग्राम वजनी गैस सिलेण्डर प्रार्थी स्वयं के खरीदशुदा है एवं यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है ऐसी स्थिति में जब्तशुदा 5 किलोग्राम वजनी 7 सिलेण्डरों को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि जब्तशुदा 5 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों से विपक्षी को कोई संबंध सरोकार नहीं है, ऐसी स्थिति में जब्तशुदा उक्त 5 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात से विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक/अवैध उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक/अवैध उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 35 गैस सिलेण्डर (18 घरेलू गैस सिलेण्डर **(14.2 Kg.)**, 10 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर **(19.0 Kg.)** एवं 7 एवं गैस सिलेण्डर **(5 Kg.)** एवं उनमें भरी हुई गैस कुल **224.8 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं कार्यवाही दिनांक 30.01.2023 द्वारा विपक्षी शिवशंकर पिता सत्यनारायण अग्रवाल निवासी मोती बाजार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ से जब्त शुदा जब्त शुदा 35 गैस सिलेण्डर {18 घरेलू गैस सिलेण्डर **(14.2 Kg.)**, 10 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर **(19.0 Kg.)** एवं 7 एवं गैस सिलेण्डर **(5 Kg.)**) एवं उनमें भरी हुई गैस कुल **224.8 Kg.** गैस को राजसात **(Confiscate)**} करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों मय गैस एवं अन्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **25.07.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official